न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या: 90 / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

आम मुस्लिम समाज ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरियेः–

1 इमामुद्दीन पुत्र बफाती मोहम्मद जाति लुहार (मुसलमान) निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 बफाती मोहम्मद पुत्र नाथु खां जाति लुहार (मुसलमान) निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 इन्तु खां पुत्र मुनीर खां जाति मिरासी (मुसलमान) निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4 हाजी मुश्ताक पुत्र नसीर खां जाति तेली (मुसलमान) निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5 छोटू शाह पुत्र सुल्तान शाह जाति काजी (मुसलमान) निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक– 26.12.2022

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण आम मुस्लमानों की कब्रिस्तान भुमि जिसके पुराने ख.नं. 795 रकबा 1 बीघा जिसके नये ख.नं. 2471, 2472 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर अवस्थित है, जिसमें आम मुस्लिम समाज मृत शरीर को अर्से दराज से दफनाते रहे है, आज भी मौके पर उक्त भूमियॉं कब्रिस्तान के काम आ रही है। उपरोक्त वर्णित आम मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान की भूमियां है जहां वादीगण व आम मुस्लिम समाज के पुर्वजों की

पुरानी कब्रे बनी हुई है, जिस पर पुराने शीलालेख लगे हुए है। विवादित भूमि वर्णित वाद पत्र पैरा संख्या 1 आम मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान की भूमि है। जिसमें सभी आम मुस्लिम समाज का हित निहित है। किन्तु आम मुस्लिम समाज के सभी सदस्यों की ओर से वाद पत्र पेश किया जाना सम्भव नहीं है तथा न ही व्यावहारिक है, ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से आम मुस्लिम समाज पचार के प्रतिनिधि की हैसियत से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। जिसकी अनुमति पृथक से आवेदन पेश कर प्राप्त कर ली गयी है। वादग्रस्त भूमियां राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर के रिकार्ड में भी कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है तथा अर्से दराज से बजमान जागिर से वादीगण व निर्बाध रूप में काम में ले रहे है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमियां एक लम्बे समय और अनिश्चित काल से आम मुस्लिम समाज के मृत शरीर को दफनाने के काम आ रही हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त भूमियों को गैर मुमकिन श्मसान के स्थान पर कब्रिस्तान की उद्घोषणा करवा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन के आदेश पारित करवाने के अधिकारी है। वाद कारण अर्सा 5–7 रोज पुर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी के कार्यालय में उक्त दुरुस्ती करवाने के लिए गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दुरुस्ती करने से साफ इंकार कर दिये जाने से पैदा हुआ तब से वाद कारण क्षण प्रतिक्षण रूप से निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 2471, 2472 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दातारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज उपरोक्त खसरा नम्बरों की किस्म गै0मु0श्मसान के स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज उपरोक्त खसरा नम्बरों की किस्म गै0मु0श्मसान के स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है रिर्पोट पटवारी पचार अनुसार ग्राम पचार ख.नं. 2471 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. श्मशान व ख.नं. 2472 रकबा 0.09 है. किस्म गै.मु. श्मशान किता 2 कुल रकबा 0.25 है. जिम्मन नं.01 में दर्ज है। पटवारी रिर्पोट अनुसार उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान पर मौके पर पुरानी पक्की व कच्ची कबें बनी हुई है। रिर्पोट पटवारी ख. नं. 2471, 2472 कि भूमि कब्रिस्तान हेतु काम आ रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2471 व 2472 किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज उपरोक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0श्मसान के स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ